

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग उत्तराखण्ड, पौड़ी।
संख्या /नाजिर/पलायन आयोग/वाई0पी0 विज्ञापित/2020-21 जनवरी, 2021
विज्ञापित

ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग उत्तराखण्ड, पौड़ी में युवा पेशेवरों की संविदा के आधार साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति की जानी है। इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 25-01-2021 तक ई-मेल (palayanayog@gmail.com) /डाक/दस्ती के माध्यम से आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं तथा दिनांक 27-01-2021 को प्रातः 10.00 बजे से साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने मूल अभिलेख लाने होंगे। साक्षात्कार पलायन आयोग के कार्यालय, पौड़ी में होगा।

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	नियत वेतन
	युवा पेशेवर	02	35000/- प्रतिमाह

नियम/शर्तें

1. अभ्यर्थी उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी हो।
2. अभ्यर्थी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से न्यूनतम स्नातक उपाधि (न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक) धारक हो।
परन्तु
राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से न्यूनतम स्नातक उपाधि (न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक) धारक होगा।
3. कि युवा पेशेवरों की आयु विज्ञापन की तिथि को 22 से 30 वर्ष के मध्य हो।
4. युवा पेशेवर को हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है।

(रोशन लाल)

सदस्य सचिव,

ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को इस आशय से प्रेषित कि सरकारी दरों पर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें :-

1. सम्पादक, अमर उजाला, पौड़ी।
2. सम्पादक, दैनिक जागरण, पौड़ी।
3. सम्पादक, हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र, पौड़ी।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र पौड़ी को निविदा का ऑन लाइन करने हेतु प्रेषित।
5. गार्डफाइल हेतु।

सदस्य सचिव,

ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

युवा पेशेवर कार्यक्रम

आवेदन पत्र प्रारूप

स्व प्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम.....
3. पत्राचार हेतु पता.....
.....
4. स्थाई पता.....
.....
5. ई-मेल
6. मोबाइल नं०
7. जन्म तिथि
8. शैक्षिक योग्यता

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्तांक/प्रतिशत	विषय

9. अनुभव (यदि कोई हो)
10. आवेदक अपनी दो फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा विश्वविद्यालय/संस्थान का परिचय पत्र (अध्ययनरत होने की स्थिति में) संलग्न करेगा।
11. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड युवा पेशेवर नीति 2019 के अन्तर्गत किसी भी विभाग /मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी कार्यालय में कार्य नहीं किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....
(आवेदक का नाम)